

२२ ^{०५}/_{२५}

आज यह पत्रावली मूल दावा के साथ
पेशी में ली गई। मूल दावा खारिज हो चुका
है। पत्रावली राजा से भी अलग से प्रकीर्ण
पत्र पेश कर उक्त राजा विद्वा कले की
अनुमति का नियंत्रण किया है।

कतः यह प्रकीर्ण पत्र भी इसी स्तर पर
खारिज किया जाता है। पत्रावली निष्पत्ति में
शुमार होकर मूल दावा के संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)